विचार बिन्दु

त्याग यह नहीं कि मोटे और खुरदरे वस्त्र पहन लिए जायें और सूखी रोटी खायी जाये, त्याग तो यह है कि अपनी इच्छा अभिलाषा और तृष्णा को जीता जाये। –सुफियान सौरी

टेलिविजन चैनल नफरती भाषण फैलाने के जिम्मेदार

देश के न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर नफरत और घृणा के बादल मंडरा रहे है। नफरत और घृणा के इस महासागर में सभी सियासी पार्टियां डुबकी लगा रही है। न्यूज चैनलों पर विभिन्न सियासी दलों के प्रतिनिधि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते है उन्हें देखकर लगता नहीं है की यह गाँधी, सुभाष, नेहरू, लोहिया और अटलजी का देश है। देश की सर्वोच्च अदालत कई बार इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर नियामकीय नियंत्रण की कमी पर अफसोस ज़ाहिर कर चुकी है । सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के भाषण और टीवी चैनलों को नफरती भाषण फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में कई बार टेलीविजन चैनलों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनल ऐसे चैनल एजेंडे से संचालित होते हैं, जो विभाजन पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल सनसनीखेज न्यूजों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने धनदाताओं (मालिकों) के आदेश के अनुसार काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाली बातें एक बड़ा खतरा हैं और भारत में स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एंकरों और न्यूज़ चैनल के प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई हो तो सब लाइन पर आ जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजकल सब कुछ टीआरपी से संचालित होता है और चैनल एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं।

सच तो यह है गंगा जमुनी तहजीब से से निकले भारतीय घृणा के इस तूफान में बह रहे हैं। विशेषकर नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद घृणा और नफरत के तूफानी बादल गहराने लगे है। हमारे नेताओं के भाषणों, वक्तव्यों और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सुचिता के स्थान पर नफरत, झूठ, अपशब्द, तथ्यों में तोड़-मरोड़ और असंसदीय भाषा का प्रयोग धड़ल्ले से होता देखा जा सकता हैं। हमारे नेता अब आए दिन सामाजिक संस्कारों और मूल्यों को शर्मसार करते रहते हैं। स्वस्थ आलोचना से लोकतंत्र सशक्त, परंतु नफरत भरे बोल से कमजोर होता है, यह सर्व विदित है। आलोचना का जवाब दिया जा सकता है, मगर नफरत के आरोपों का नहीं। चुनाव आते ही हमारे नेताओं की बांछे खिल जाती है। मंच और भीड देखते ही सियासत की तकदीर लिखने लगते है। भाषणों में नफरत के तीर चलने लग जाते है। बंद जुबाने खुल जाती है। सियासी शत्रुता के गुब्बार फूटने लगते है। नीतियों और मुद्दों की बाते गौण हो जाती है।

जब से टीवी न्यूज चैनलों विशेषकर सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में दखल दिया है तब से हम एक दूसरे के दोस्त कम दुश्मन अधिक बन रहे है। समाज में भाईचारे के स्थान पर घृणा का वातावरण ज्यादा व्याप्त हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर एक साल के लिए रोक लगा दी जाये तो नेता और उनके अंध भक्त सुधर जायेंगे। साथ ही देश का भी भला हो जायेगा।

अब नफरत और घृणा पर भी घमासान हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों सहित हमारे देदीप्यमान नेताओं को इसके लिए बधाई दी जा सकती है। लगे हाथ न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया को भी बधाई दी जानी चाहिए जिसने आग में घी डालने का काम कर वातावरण को शांत करने के बजाय जहरीला बनाने में अधिक योगदान दिया है। अक्सर यह देखा जाता है न्यूज चैनलों की बहस और चर्चा में भाषा की मर्यादा ताक पर रख दी जाती है। कार्यक्रम संचालकों-प्रस्तोताओं को टीआरपी बटोरने के लिए नाना प्रकार से प्रेरित किया जाता है। ऐसे में उठा और नफरत चर्चा और आरोप प्रत्यारोपों को रोकने के बजाय उसे और भड़का दिया जाता है। इससे सार्थक चर्चा नहीं हो पाती और पूरा समय गंदे बोलों के बीच समाप्त हो जाता है। लगता है इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो अपने निम्न स्तरीय बयानों के लिए जाने जाते है। आज छोटे से लेकर बड़े नेता तक ने जैसे नफरत फैलाने का ठेका ले लिया है। चुनाव के दौरान इसका अधिक उपयोग होने लगा है। चुनाव भी अब लगभग हर तीसरे महीने कहीं न कहीं होने लगा है जिसका प्रतिफल यह निकल रहा है कि नेता लोग इस अचूक ब्रह्मास्त्र को एक दूसरे पर धड़ल्ले से साध रहे है। घृणा की इस बहती गंगा में हाथ धोने से कोई भी नहीं चूक रहा है। समूचे ब्रम्हांड में जैसे घृणा के काले-पीले बादल मंडरा रहे है। देश में नफरत की भावना का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। या यूँ कहे समाज में कुछ लोग ऐसे है जो किसी भी हालत में सद्भावना और प्यार मोहब्बत को मिटाने पर तुले हुए है। इनमें उनके निहीत स्वार्थ है। इस दौरान एक बार फिर आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था में सुधार, महंगाई और युवाओं को रोजगार और विकास कहीं पीछे छूट गए है। देशवासी भी इन मुद्दों पर कोई ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं देते। सियासी बोलों पर तालिया पीटने के आदि हो गए है हम।

जब से टीवी न्यूज चैनलों विशेषकर सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में दखल दिया है तब से हम एक-दूसरे के दोस्त कम दुश्मन अधिक बन रहे है। समाज में भाईचारे के स्थान पर घृणा का वातावरण ज्यादा व्याप्त हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर एक साल के लिए रोक लगा दी जाये तो नेता और उनके अंध भक्त सुधर जायेंगे। साथ ही देश का भी भला हो जायेगा। प्रिंट मीडिया आज भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहा है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर हो रही बहस घृणास्पद और निम्नस्तरीय है। ऋषि मुनियों की इस पावन धरा को घृणा के विष बीज से मुक्ति नहीं मिली तो भारत को पतन के मार्ग पर जाने से कोई भी ताकत नहीं रोक पायेगी।

आज पक्ष और विपक्ष में मतभेद और मनभेद की गहरी खाई है। यह अंधी खाई हमारी लोकतान्त्रिक परम्पराओं को नष्ट भ्रष्ट करने को आतुर है। भारत सदा सर्वदा से प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ा है।

हमारा इतिहास इस बात का गवाह है हमने कभी नफरत को नहीं अपनाया। हमने सदा सहिष्णुता के मार्ग का अनुसरण कर देश को मजबूत बनाया। देश में व्याप्त नफरत के इस माहौल को खत्म कर लोकतंत्र की ज्वाला को पुर्नस्थापित करने की महती जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम खुद अनुशासित होंगे और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करेंगे।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

समान नागरिक संहिता का शोर जरूर मचाया जाता है किन्तु प्रारूप जनता के सामने नहीं रखा जाता

महावीर सिंह

भारतीय राजनीतिक उठाक-पटाक में वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा उठने वाला एक मुद्दा है समान नागरिक संहिता का। 90 के दशक से ही, चुनाव आते ही जोर जोरदार तरीके से इसे उठाया जाता है। जैसे ही किसी राज्य-देश में चुनाव आता है, समान नागरिक संहिता बनाने या उसके लिए कोई कमेटी बनाने की घोषणा अनिवार्यत: हो ही जाती है। विधान सभाओं के चुनाव कुछ कुछ अंतराल से हमेशा चलते ही रहते है। किसी पार्टी नें, किसी राज्य स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर कभी व्यापक सार्वजनिक बहस करा कर, ऐसे कानून का प्रारूप जनता के समक्ष नही रखा है। संविधान निर्माण के समय भी इस मुद्दे पर बहस हुई किन्तु एक मत नहीं बना था। संविधान की धारा 44 में उल्लेख है कि शासन यह प्रयास करेगा कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता बने।

नीति निर्देशक संवैधानिक धाराओं में समान-शुलभ न्याय, ग्राम पंचायत गठन, काम-शिक्षा-सामाजिक सुरक्षा-कामगारों को उचित मेहनताना-नागरिकों के लिए पोषण, उचित जीवन स्तर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों, पर्यावरण, वन, वाइल्डलाइफ सुरक्षा आदि की बातें भी कही है। इन सर्वहित के मुद्दों धार्मिक संगठनों या बड़बोले नेताओं कभी कुछ नहीं बोलते।

संविधान की धारा 51 के अनुसार नागरिक से इस दायित्व बोध की अपेक्षा की गई है कि विभिन्न मुद्दों, विषयों पर मानवीय और वैज्ञानिक सोच के अनुसार विचार और निर्णय करें। ऐसा कितने राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन करते दिखते है??

समान नागरिक संहिता को समझने के लिए, भारत के संविधान के भी कुछ प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा।

संविधान की धारा 15 के अनुसार, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेद भाव नहीं करेगा। धारा 25 के अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण, प्रचार-प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। धारा 26 के अनुसार कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धर्म सम्बंधित मामलों के प्रबन्धन के लिए स्वतंत्र है। धारा 29 के अनुसार, माइनोरिटीज को अपनी भाषा, लिपि व सभ्यता को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसलिए समान नागरिक संहिता का जो भी कानून बनेगा इन सीमाओं को ध्यान में रख कर ही बनेगा । इनमें से कोई भी धारा समान नागरिक संहिता बनाने में बाधक नहीं बशर्ते संहिता संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो और न्यायोचित हो। जबरदस्ती थोपी जाने वाली नहीं हो।

यह विषय संविधान की समवर्ती सुची में है। कानून राज्य भी बना सकते है किंतु भिन्न राज्यों में अलग-अलग रीति रिवाज-परिपाटियां होंगो तो समान कानून कैसे सम्भव होगा। इसलिए इस विषय पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए।

सिविल नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है ?

भारत में हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी धर्मों को मान ने वाले लोग हजारों सालों से एक साथ रहते आये है। इनके सब के शादी, विवाह, गोद, गार्जियनशिप, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद-डाइवोर्स-तलाक के नियम-परिपाटियां अलग-अलग हैं। यह सब इन लोगों की धार्मिक मान्यताओं व लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाजों पर आधारित है।

आदिवासी समाजों में इन मामलों के नियम, कायदे बहुत भिन्न प्रकार के है। इसीलये जनजातियों के लिए भारत की संविधान की धारा 244(1) व शिड्यूल 5 में उनके लिए विशेष प्रावधान रखे गए है।

मोटे रूप से, समान नागरिक संहिता के लिए तर्क के रूप में लोगों को भ्रमित किया जाता है कि समान नागरिक संहिता के बाद इन सब मामलों में सभी धर्मों के लोगों पर एक जैसे नियम लगेंगे, धर्म के अनुसार अलग-अलग नहीं।

लोगों के गले यह बात भी गले उतारने का प्रयास होता है कि इसके बाद मुसलमान चार पत्नियां नहीं रख सकेंगे। कई पत्नियां रखने के कारण मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ रही है। एक दिन उनकी संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। हमारा देश एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। हिन्दू द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन जाएंगे। यह बात, जनसंख्या वृद्धि दर को ध्यान में रख कर, जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों के प्रोजेक्शन्स के आधार पर खरी नहीं उतरती है किन्तु सोशल मिडिया पर इस प्रकार का मिथ्या प्रचार आम बात हो गई है। समय समय पर धर्म के नाम पर चलने वाली कई अमानवीय कु प्रथाओं पर कानून बनते रहे हैं। हिन्दू सामाजिक सुधार संगठनों द्वारा किए गए जन जागरण व मांगों के आधार पर बहुत सी हिन्दु कुरीतियों के विरुद्ध आजादी से पहले ब्रिटिशर्स नें और बाद में भारत की संसद नें कानून बनाए हैं। अगर नहीं बनाते तो सतीप्रथा, बल विवाह, विधवा विवाह निषेध, छुआछूत-अस्पर्शयता, देवदासी आदि कई कुरीतियां चालू रहती।

संसद नें कानून बनाकर हिन्दू लड़कियों को पिता की सम्पत्ति अधिकार और बहू को सास-ससुर के सम्पत्ती में अधिकार दिया गया है। मुस्लिमों में तत्काल तलाक देने की अमानवीय प्रथा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अंततोगत्वा उस पर रोक का कानून बना ही है । सभी धर्मों में रीति-रिवाजो में कुछ अच्छाइयां भी है। मुस्लिम धर्म की निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। यदि इस कॉन्ट्रैक्ट में भरणपोषण, बच्चों की कस्टडी, मेहर की शर्तें, पति व पत्नी के दायित्व विस्तार से लिख लिए जाएं तो कालांतर में उपजने वाली मुकद्दमेबाजी कम हो जाएगी। हिन्दू शादियों में भी, फेरों के वक्त वधु को मायके-ससुराल-पारीवारिक व मित्र जनों से मिलने वाले स्त्रीधन, उपहार आदी का विस्तृत ब्यौरा तैयार होना चाहिए। इस से दहेज के नाम पर होने वाली मुद्दमेबाजी में आशातीत कमी आ सकती है। इसी प्रकार की अच्छी बातें अन्य धर्मों में भी होंगी, आदिवासी समाजों में भी होंगी, उनको भी संकलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अच्छी बातों को समान नागरिक संहिता में कैसे शामिल किया जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिए।

विभिन्न धर्मों, समुदायों के पर्सनल कानूनों में एक रूपता लाने के लिए सबसे पहले संसद, विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज में लिंग आधारित भेदभावों वाली, शादी, डाइवर्स, गोद लेने के, उत्तराधिकार व गार्जियनशिप के लिए उन परिपाटियों, रीति-रिवाजों की पहचान करे जो संविधान प्रदत मूलभूत अधिकारों के विपरीत हो और कानून बनाकर उन्हें असंवैधानिक व आपराधिक घोषित करे। शायद इस से इनका विरोध भी कम ही हो।

न्यायालय धर्मग्रन्थों की व्याख्या कर निर्णय नहीं दे। न्यायालयों के समक्ष जो मामला जाए उसे संविधान और उसके तहत बने हुए कानूनों के अनुसार फैसला करे और लागू करवाए। जैसे कोई भी धर्म की महिला, पति के द्वारा दूसरी शादी की शिकायत करे तो के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही हो और सिविल न्यायालय उस पर रोक लगाए।

अर्थात कुल मिलाकर किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ, समय व सामाजिक परिस्थियों के चलते सदैव के लिए परफेक्ट व अपरिवर्तनीय नहीं होने चाहिए। कुछ बातें सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में अच्छी है और उन्हें चिन्हित की जाकर उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ में बदली हुई परिस्थितियों, संविधान प्रदत मूलभूत अधीकारों के अनुसार परिवर्तन भी होना चाहिए।

कानून बनाना पर्याप्त नही, समाज के द्वारा उनकी स्वीकार्यता जरूरी है। हिंदुओं के सम्बंध में मैरिज एक्ट बना हुआ है किंतु शादियों में स्थानीय, जातीय व पारिवारिक रीति-रिवाज भी निभाए जाते है। कितने गोत्र छोड़ कर शादी मान्य है या सगोत्रीय शादी मान्य है या नहीं, यह भी क्षेत्र, जाति के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं।

हिन्दू मैरिज एक्ट के अनुसार अंतरजातीय, सगोत्र शादियां मान्य है, कितनी ऐसी शादियां होती है? यह अधिकतर जातियों में स्वीकार्य नही। इसी प्रकार की अनेक भिन्नताएं मुस्लिम, ईसाई, पारसी समाज के कानूनों, रीति-रिवाजों में है। इसिलये पूरे भारतीय समाज के लिए एक जैसे सिविल कानून हो, यह परम आदर्श उद्देश्य हो किन्तु इसकी मांग विभिन्न समाजों, समुदायों से समय-समय पर उठे और उसी के अनुसार समय समय पर कानून बने, संशोधन हो तो वे शांतिपूर्वक मान्य होंगे और जिन लक्ष्यों के लिए कानून बनाए जाते है उनकी पूर्ति होगी, देश, समाज को लाभ होगा।

सरकार विद्वानों की राय, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, दृढता व स्पष्टता से अपना दृष्टिकोण जनता के समक्ष रखे, उस पर देश व्यापी बहस कराए, विभिन्न धार्मिक-आदिवासी समाजों के संगठनों व अग्रणी व्यक्तियों की राय ले और फिर आवश्यकता के अनुसार कानून बनाए। ऐसा करने से विभिन्न धर्मों के उत्पति समूहों द्वारा सामाजिक शांति-सौहार्द्र भंग करने की आशंका कम हो जाएगी।

अन्यथा तो यह सब उठाक-पटाक सामाजिक विभाजन-ध्रुवीकरण-हम बनाम वो के जरिये वोट प्राप्ति के तुच्छ स्वार्थ की प्राप्ति के लिए की जाने वाली, देश के लिए अहितकारी चिल्लपो से अधिक कुछ नहीं होगी।

–महावीर सिंह,
आई.ए.एस. (से.नि.)

जोधपुर स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ किले में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह आयोजित

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर की स्थापना दिवस के मौके पर मेहरानगढ़ किले में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में बतौर अतिथि स्मृति ईरानी उपस्थित थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से मेहरानगढ़ का यह किला अभेद्य है, ठीक वैसे ही हिंदुस्तान का शौर्य और पराक्रम भी अभेद्य ही रहना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जनता को संविधान में दिए हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।

उन्होंने सभी दायित्व का मंच से वाचन किया और कहा कि जोधपुर राज परिवार के पूर्व नरेश गजसिंह इनका सटीक उदाहरण है। जोधपुर राज परिवार के पूर्व नरेश गजसिंह ने कहा संबोधित करते हुए जोधपुर वासियों को सफाई पर विशेष ध्यान रखने और साथ ही आगामी दिनों में जोधपुर की विकास की परिकल्पना पर भी फोकस किया। समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राव सीहाजी सम्मान मिला, जो उनके माता-पिता ने ग्रहण किया। मिस एनी विसेंट को महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रावल किशन सिंह रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल को राव जोधाजी सम्मान दिया गया।

- **रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राव सीहाजी सम्मान मिला, जो उनके माता-पिता ने ग्रहण किया**
- **मिस एनी विसेंट को महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान, समाजसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए रावल किशन सिंह रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल को राव जोधाजी सम्मान दिया गयो**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर रमेश रलिया को महाराजा हनवंत सिंह सम्मान, सामान्य नागरिक और रक्षा कर्मों के लिए असाधारण बहादुरी के क्षेत्र में रिटायर आईजी मदन सिंह को मेजर दलपत सिंह सम्मान दिया गया। पारंपरिक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य के लिए अनुपम शाह को कुंवर करनी सिंह जसोल सम्मान, राजस्थानी लोक संगीत और पारंपरिक कालबेलिया नृत्य के क्षेत्र में कालू नाथ कालबेलिया को पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया।

जोधपुर के स्थापना दिवस के मौके पर मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह के दौरान दो पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत स्व. लीला देवी सोमानी को महाराजा विजय सिंह सम्मान, धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में ओंकार सिंह लखावत को महाराजा मानसिंह सम्मान, प्राकृतिक विरासत और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर श्रवण सिंह राठौड़ को महाराजा उम्मेद सिंह सम्मान, महिला सशक्तिकरण में ऐश्वर्या भाटी को राजदादीसा बदन कुंवर भटियाणी सम्मान, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान, रतन सिंह राजपुरोहित को गजसिंह द्वितीय सम्मान प्रदान किया गया। इसी तरह क्रिकेट में रवि बिश्नोई को युवराज शिवराज सिंह सम्मान, पत्रकारिता के क्षेत्र में मारवाड़ मैगजीन को मुहता नैनसी सम्मान, राजस्थानी भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भंवरलाल सुथार को पदमश्री सीताराम लालस सम्मान, राजस्थानी भाषा काव्य साहित्य क्षेत्र में बीकानेर के हनुमंत किंकर को डॉ. नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान, जान बचाने के लिए मरणोपरांत सुरेंद्र सिंह को राजाराम मेघवाल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आजादी से पहले कानून और न्याय क्षेत्र में योगदान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया।

जोधपुर स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ किले में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह में जोधपुर राज परिवार के पूर्व नरेश गजसिंह, स्मृति ईरानी, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी आदि मौजूद रहे।

राशिफल शनिवार 13 मई, 2023

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2080, धनिष्ठा नक्षत्र दिन 11:35 तक, ब्रह्म योग प्रात: 9:22 तक, कौलव करण प्रात: 6:51 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-मेष, शुक्र-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज पंचक है। नवमी तिथि का क्षय हुआ है। आज त्रोलोकनाथ अष्टमी (बंगाल में) है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:24 से 9:04 तक, चर 12:23 से 2:03 तक, लाभ-अमृत 2:03 से 5:22 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:45, सूर्यास्त 7:02

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला

परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृश्चिक

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से आवश्यक कार्यों को टालना पड़ सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

मीन

घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अनावश्यक धन खर्च होगा। समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

बीगोद के सरकारी अस्पताल परिसर की धर्मशाला में आई दरारें

मांडलगढ़, (निसं)। बीगोद कस्बे के सरकारी अस्पताल परिसर में सात साल पूर्व निर्मित धमर्शाला की बिल्डिंग में घटिया निर्माण होने से दरारें आ गई है। जिससे बिल्डिंग का एक हिस्सा कभी भी धराशायी हो सकता है। इस बिल्डिंग में वर्तमान में अस्पताल सम्बन्धी गतिविधि संचालित हो रही है और स्टाफ की मौजूदगी रहती हैं।

स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धर्मशाला भवन में आई दरारों से नर्सिंगकर्मियों को भी बैठने से डर लगता है। अस्पताल परिसर में वर्ष 2015 में 25 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला भवन का निर्माण चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया था। निर्माण के दो वर्ष बाद ही भवन के एक हिस्से में धीरे धीरे दरारें आना शुरू हो गई, जो बढ़ती हुई दो कमरों और शौचालय तक में आ गई और बरामदे को भी अपनी जद में ले लिया है। बिल्डिंग की दरारों को देखते हुए यहां बने महिला शौचालय का उपयोग बंद कर दिया गया। दो कमरों में हल्की दरारें होने से अभी मेडिसिन स्टोर के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। धर्मशाला की दीवारों में बढ़ती दरारों को देख हर वक्त हादसे का डर बना रहता है।

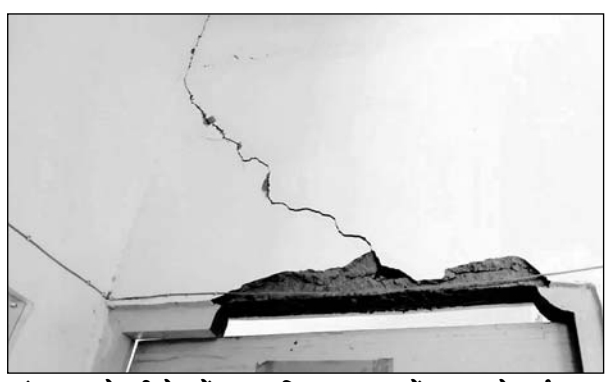

मांडलगढ़ के बीगोद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बने धर्मशाला भवन में आई दरारों से हादसे की आशंका बढ़ी।

- **एनआरएचएम योजना के तहत बनी धर्मशाला में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया**
- **अस्पताल परिसर में वर्ष 2015 में 25 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला भवन का निर्माण किया गया था**
- **धर्मशाला की दीवारों में बढ़ती दरारों को देख हर वक्त हादसे का डर बना रहता है**

धर्मशाला भवन निर्माण के दौरान घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग और जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही अब सामने आने लगी हैं।समय रहते धर्मशाला भवन में मरम्मत नहीं कराई गई तो धराशायी होने का खतरा बन सकता हैं। एनआरएचएम योजना से करीब 25 लाख की लागत से बनाई गए उक्त धर्मशाला भवन का उद्देश्य क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों से उपचार के लिए अस्पताल में आने वाले रोगियों के तीमारदारों को आवश्यकता होने पर रात को ठहरने समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के लिए निर्माण करवाया गया है। लेकिन उक्त भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के चलते सही उपयोग नहीं हो रहा है।

डॉक्टर श्रीराम वर्मा, चिकित्सा प्रभारी, बीगोद का कहना है कि अस्पताल परिसर में बने धर्मशाला भवन की दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ गई है। जिससे बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। भवन की नीव बैठने से पूरे भवन में दरारें बढ़ती जा रही है।